

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी- श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या: 41/अपील/2018 तारीख दायरा 02.02.2018 तारीख निर्णय 11.05.2018

हरिराम, राधेश्याम आ0 केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 01.11.2017

नायब तहसीलदार, नैनवां

अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री कन्हैया लाल मीणा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 237/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है एवं आदेश न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट को अपने बचाव पक्ष में सुनवायी का



अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें पश्चातवर्ती अतिक्रमण का विवरण दर्ज नहीं है। अपीलान्त ने अतिक्रमी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है। भविष्य में अपीलान्त अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई दस्तावेज व साक्ष्य पूर्व में अपीलान्त को बेदखल करने बाबत नहीं लिये है। अपीलान्त भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्त को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्त को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्त के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्त को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

